न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 138/2023

1 ताराचन्द पुत्र रामकुमार उम्र 67 साल जाति गुर्जर निवासी ढाणी परमाका वाली तन कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
2 हरिराम उम्र 65 साल पुत्र रामकुमार उम्र 67 साल जाति गुर्जर निवासी ढाणी परमाका वाली तन कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
3 पप्पू उम्र 53 साल पुत्र रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी ढाणी परमाका वाली तन कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
4 भगुता उम्र 61 साल दत्तक पुत्र लिछमण जाति गुर्जर निवासी ढाणी परमाका वाली तन कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
5 लीला उम्र 65 साल पुत्र बनवारी जाति गुर्जर निवासी ढाणी परमाका वाली तन कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
6 कैलाश उम्र 59 साल पुत्र बनवारी जाति गुर्जर निवासी ढाणी परमाका वाली तन कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
7 जयकोरी पत्नी स्व. बनवारीलाल उम्र 81 साल जाति गुर्जर निवासी ढाणी परमाका वाली तन कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
8 कोयली पुत्री बनवार पत्नी मनरूप उम्र 49 साल जाति गुर्जर निवासी भोदन तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
9 कृष्णा पुत्र बनवारी उम्र 46 साल पत्नी राजू जाति गुर्जर निवासी भुदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
10 चिड़ीया पुत्री बनवारी उम्र 55 साल पत्नी रोहिताश जाति गुर्जर निवासी भुदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
11 बिमला पुत्री बनवारी उम्र 47 साल पत्नी कैलाश जाति गुर्जर निवासी भुदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 बिहारीलाल उम्र 57 साल पुत्र स्व. रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी ढाणी परमाका वाली तन कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

2 सुगनाराम उम्र 55 साल पुत्र स्व. रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी ढाणी परमाका वाली तन कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
3 संतोष उम्र 61 साल पुत्री स्व. रामेश्वर पत्नी लिछमण जाति गुर्जर हाल आबाद बिहारीपुर तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
4 माया पुत्री स्व. रामेश्वर उम्र 56 साल पत्नी गुरूदयाल जाति गुर्जर निवासी बिहारीपुर तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
5 प्रकाश उम्र 56 साल पुत्र रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी ढाणी परमाका वाली तन कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
6 मेवा पुत्री रामेश्वर उम्र 57 साल पत्नी छोटूराम जाति गुर्जर हाल निवासी भोदन तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
7 राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
8 शिम्भु पुत्र बनवारी उम्र 53 साल जाति गुर्जर निवासी ढाणी परमाका वाली तन कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिकी न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी जिला झुन्झुनूं
उनवानी मुकदमा बिहारीलाल आदि बनाम ताराचन्द आदि
मु.नं. 216/2022 निर्णय दिनांक 02.01.2023

उपस्थिति :

1. श्री सुभाषचन्द्र, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

–निर्णय–

दिनांकः– 25/3/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 216/2022 में पारित निर्णय दिनांक 02.01.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्टस 1 लगायत 4 ने एक वाद खातेदारी घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर 240, 241, 242 वाके ग्राम कालोटा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलार्थीगण ने कभी भी विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी तरफ से कोई भी जवाब दावा पेश नहीं किया न ही इकबाली जवाब दावा के लिए सहमत हुए न इकबाली जवाब दावा पेश करने के लिए न्यायालय में उपस्थित हुये नहीं अपनी तरफ से कोई वकील नियुक्त किया अपीलान्टस ग्रामीण परिवेश के अनपढ़ आदमी है कानून की पेचीदगीयों को नहीं जानते इस स्थिति का फायदा लेकर रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 4 अपीलान्टस के पास गांव में आये ओर अपीलान्टस को मुगालता देकर यह कहा किवे अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवा रहे है चूंकि खाता में आपका भी नाम है इसलिये आपके हस्ताक्षरों की आवश्यकता पड़ेगी यह कहकर अपीलान्टस संख्या 1 लगायत 11 के खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये जो अपीलान्टस ने इस दावे के जवाब दावा के लिए नहीं किये थे बल्कि इस विश्वास में किये थे की रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 4 अपने हिस्से की भूमि का विधिवत बंटवारा कर रहे है हस्ताक्षर करवाने से पूर्व रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 4 ने न तो अपीलान्टस के पास दावा की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * (कैम्प झुन्झुनू)

नकल भिजवाई न ही दावा पढ़कर सुनाया न अपीलान्टस को यह जानकारी थी की इस दावा की आड़ में रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 4 गलत रूप से विधि विरूद्ध तरीके से मोहरली के हिस्से की भूमि के बाबत मुगालता देकर अपने नाम चढ़वा रहे है अगर वास्तव में ही अपीलान्टस न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी तरफ से कोई इकबाली जवाब दावा पेश करते तो न्यायालय की आदेशिका पर उनके हस्ताक्षर होते विवादित भूमि में मृतका मोहरली के हिस्से की भूमि को रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 4 की टीनेन्सी में दर्ज करने बाबत अपीलान्टस ने कोई भी इकबाली जवाब दावा नहीं दिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने उपर वर्णितानुसार विश्वास में किये गये अपीलार्थीगण के हस्ताक्षरों का दुरूपयोग कर उसे इकबाली जवाब दावा का रूप दिया है उक्त जवाब दावा को देखने से ही यह साबित होता है कि हस्ताक्षर खाली कागजो पर करवाये गये है। चूंकि उक्त तथाकथित जवाब दावा तथ्य की भूल व विधि के विपरित होने से रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 4 को कोई भी फायदा व अधिकार नही देता है इस कारण उक्त तथाकथित जवाब दावा अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के हितो के विपरित होने से वे जवाब दावा के तथ्यों से पाबन्द नहीं है व अपीलार्थीगण के अधिकारों पर बेअसर है। रेस्पोडेन्ट संख्या 8 शिम्भू ने कभी भी तथाकथित जवाब दावा पर हस्ताक्षर नहीं किये क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 8 शिम्भू मजदूरी के सिलसिले में बाहर रहता है गांव में बहुत कम आता है तथाकथित जवाब दावा पर रेस्पोडेन्ट संख्या 8 शिम्भू के हस्ताक्षर फर्जी है रेस्पोडेन्ट संख्या 8 शिम्भू ने अपनी तरफ से उक्त दावा में अपनी तरफ से इकबाली जवाब दावा पेश नहीं किया इसलिए उक्त जवाब दावा पर शिम्भू के हस्ताक्षर फर्जी होने से वह उक्त जवाब दावा से पाबन्द नहीं है उक्त जवाब दावा में शिम्भू के हस्ताक्षर की समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध तरीके से रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 4 द्वारा की गयी है इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 8 इस जवाब दावा से न तो पाबन्द है न ही उसकी स्वीकृति है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे इकबाली

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

जवाब दावा देकर उसके आधार पर खातेदारी अंतरिम करने का कोई प्रावधान नही है नहीं ऐसा कोई अधिकार है इस कारण तथाकथित जवाब दावा के आधार पर टिनेन्सी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को अंतरिम नहीं हो सकती नहीं खातेदारी संशोधित हो सकती नहीं रिकार्डेड टिनेन्ट का नाम कानूनन हजफ हो सकता है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में दिनांक 28.09.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 से 14 की ओर से श्रीराम सिंह आवाना अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न वकालतनामा पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। दिनांक 21.10.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 से 14 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। इस इकबाली जवाब दावे पर भी अपीलांट के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय ने इकबाली जवाब दावे के आधार पर एवं पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय की अपील अपीलांट द्वारा मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वकालतनामें एवं इकबाली जवाब दावे के संदर्भ में अपीलांट ने कथन किया है कि वादी ने मुगालते में रखकर हस्ताक्षर करवाये है। इस कथन की पुष्टि में अपीलांट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की हुई है। केवल मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का संतोषप्रद कारण नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 भी स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। विचारण न्यायालय के निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 25/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)